ग्राम पंचायत शांतला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **प्रस्तावना (क) :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शांतला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03. 2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	**श्री सुभाष चन्द**	**1-4-2014 से 22-1-2016**
2	**श्रीमति कुसुम लता**	**23-1-2016 से लगातार**

सचिव :-

1	**श्री जगरूप सिंह**	**1-4-2014 से 24-2-2017**
2	**श्री मति सविता रानी**	**25-2-2017 से लगातार**

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत शांतला के लेखाओं **अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण** एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में) (₹)**
1	**8**	अनुदान का उपयोग न करना	**16.62**
2	**10**	निर्माण कार्यों के **मूल्याँकन (Assessment) के** बिना भुगतान करना	**0.50**

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत शांतला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला **काँगड़ा के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 4-10-2017 से 9-10-2017 तक ग्राम** पंचायत शांतला में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	**2/2015**	**1/2015**
2015-16	**2/2016**	**11/2015**
2016-17	**2/2017**	**7/2016**

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत शांतला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 /2017 दिनांक 9-10-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थितिः-

ग्राम पंचायत शांतला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत शांतला के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	**385854**	**80401**	**466255**	**13422**	**452833**
2015-16	**452833**	**65401**	**518234**	**17431**	**500803**
2016-17	**500803**	**109000**	**609803**	**33022**	**576781**

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत शांतला के अवधि **01.04.14 से 31.03.17** तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	250684	1209029	1459713	1161151	298562
2015-16	298562	1319874	1618436	1122844	495592
2016-17	495592	1751750	2247342	585445	1661897

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत शांतला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक **31-03-2017 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर ₹3,00,000 था जिसका समाधान विवरणी परिशिष्ट (2) पर सलंग्न है।**

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 576781

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1661897

योग 2238678

अन्तशेष का विवरण:-दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	KCCB SHANTLA	20155002751	1479507
2	KCCB SHANTLA	50055938994	85752
3	KCCB SHANTLA	50055939919	278
4	KCCB SHANTLA	50055940255	11
5	KCCB SHANTLA	50055939272	1735
6	KCCB SHANTLA	50055939056	12376
7	KCCB SHANTLA	50055939169	7251
8	KCCB SHANTLA	50055939589	34982
9	KCCB SHANTLA	50064422201	76066
10	KCCB SHANTLA	50050819529	80528
11	KCCB SHANTLA	50050819552	73619
12	HGB PIRSALUHI	88080100000203.00	85910
		Total	1938015
		Cash in hand General cash book	650
		Cash in hand IWMP	13
		Grand Total	1938678

अन्तर = 2238678 – 1938678 = 3,00,000

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव शांतला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹505 वसूली हेतु शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष रा
2014-15	105	18650	18755	17600	1155
2015-16	1155	19050	20205	20150	55
2016-17	55	19100	19155	18650	505

8 अनुदान ₹16.62 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1661897 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10 <u>निविदाओं के बिना क्रय करना :---</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा निविदाओं के बिना निर्माण सामग्री का क्रय किया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

11 <u>ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा सम्पत्ति (ASSET) रजिस्टर का रख रखाव न करना :---</u>

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

12 **निर्माण कार्यों के मूल्याँकन (Assessment) के बिना ₹0.50 लाख भुगतान करना :-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता **के मूल्याँकन** (assessment) के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा ₹**50195 का भुगतान **के मूल्याँकन (**assessment) के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए **मूल्याँकन** (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
सामान्य रोकड़ बही			
36	7/2016	निर्माण पक्का रास्ता मुन्शी राम के घर से मेन रोड जजर	21300
45	7/2016	निर्माण पक्का रास्ता मुन्शी राम के घर से मेन रोड जजर	24080
IWMP			
67	1/2015	निर्माण RWHT श्री चमन लाल, प्रवीन कुमार आदि	4815
		कुल योग	**50195**

13 **<u>13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज न करना :---</u>**

ग्राम पंचायत **द्वारा** 13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज न करके मात्र अलग से एक पृष्ठ पर मूल्यांकन किया गया जो कि अनुचित है क्योंकि समस्त निर्माण कार्यों का मूल्याँकन मापन पुस्तिका में नियमानुसार दर्ज करना वांछित है। **13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज न करने का उदाहरण निम्नानुसार है**। अत: 13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका में दर्ज करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या	**मास**	**निर्माण कार्य का नाम**	**राशि**
76	**1/2015**	**निर्माण कार्य मुरम्मत वावडी लोहार बस्ती**	**1700**

14 **<u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **<u>लघु आपति विवरणिका:-</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17 **<u>निष्कर्ष :-</u> लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।**

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)144/2017 खण्ड–1–1983–1986 दिनांक 19.3.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत शान्तला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881